न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ जिला चूरू

बइजलास पंकज गढ़वाल (आर.ए.एस.)

सन् 2019

प्रार्थना पत्र सख्या : 294

निर्णय दिनांक – 22.2.2021

1. रमेशचन्द्र पुत्र जयसिंह
2. दिनेश
3. नरेश
4. प्रमोद
5. कौशिल्या
6. प्रेमलता
7. रिशालकोर
8. सरोज

पुत्रियां महेशचन्द्र

9. शर्मिला पत्नी सुखवीर

जाति समस्त जाट निवासीगण हमीरवास छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय राजगढ़ जिला चूरू

– अप्रार्थी

2. कृष्णा पत्नी स्व0 सुरेशचन्द्र पुत्र जयसिंह
3. संदीप
4. कुलदीप
5. प्रमिला
6. प्रियंका

पुत्र पुत्रियां स्व0 सुरेशचन्द्र पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासीगण हमीरवास छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– गोण अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

– वास्ते प्रार्थीगण

2. पैरोकार राज – अप्रार्थी

3. गौण अप्रार्थीगण सं. 2 ता 6 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

आदेश

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि – प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस न्यायालय में अर्न्तगत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि हाल खाता सं. 123 ख0नं0 131 तादादी 0.01 हैक्टेयर, ख0नं0 132 तादादी 9.32 हैक्टेयर, ख0नं0 218 तादादी 4.55 हैक्टेयर, ख0नं0 220 तादादी 0.96 हैक्टेयर, ख0नं0 64 तादादी 0.29 हैक्टेयर कुल तादादी 15.13 हैक्टेयर वाके रोही हमीरवास छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में कृषि भूमि ख0नं0 131 तादादी 0.01 हैक्टेयर, ख0नं0 132 तादादी 9.32 हैक्टेयर कुल तादादी 9.33 हैक्टेयर वाके रोही हमीरवास छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू ही विवादित है। वास्ते अवलोकन जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी सं. 1 अपनें 1/4 हिस्सा का, प्रार्थीगण सं. 2 ता 8 प्रंत्येक 1/28 – 1/28 हिस्सा के तथा प्रार्थीनी सं. 9 अपने 1/4 हिस्सा की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते आ रहे है। लेकिन प्रार्थीगण के खेत पड़ौसियान नें प्रार्थीगण की विवादित कृषि भूमि की चारो सीमाओं को दबाकर उक्त सीमाओं पर अतिक्रमण करना चाह रहे है और प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं को तौड़कर सीमा विवाद बनाये हुये है। उक्त विवादित कृषि भूमि के सहखातेदार सुरेश चन्द्र पुत्र जयसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। सुरेशचन्द्र के स्वर्गवास के बाद उसके हक हिस्सा की कृषि भूमि 1/4 हिस्सा पर उसक जायज वारिसान गौण अप्रार्थीगण सं. 2 ता 6 मृतक सुरेशचन्द्र क जायज वारिसान होने क कारण काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते आ रहे है। लेकिन गोण अप्रार्थीगण के अभी तक इंतकाल दर्ज नही हुआ है लेकिन मृतक सुरेशचन्द्र क हिस्सा पर काबिज है और काश्त व उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण नें कई बार स्वंय भी तथा अन्य लोगों से भी खेत पड़ौसियान को काफी कहा व कहलवाया कि वे प्रार्थीगण के हक हिस्सा की कृषि भूमि ख0नं0 131 व 132 की सीमाओं को तौड़कर सीमा विवाद कायम ना करे तथा ना सीमा को दबाने का प्रयास करे तथा पुख्ता सीमाचिन्ह कायम कराकर सीमाज्ञान करवा लेनें देवे व प्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद ना बनाये रखे लेकिन

के लिए प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाई जानी न्यायहित में आवश्यक है। जिससे कि शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। उक्त विवादित कृषि भूमि में सहखातेदार सुरेशचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान का उक्त विवादित कृषि भूमि में हित निहित है। इसलिए मृतक सुरेशचन्द्र के जायज वारिसान को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार गोण अप्रार्थीगण संयोजित किया गया है। विवादित कृषि भूमि अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में होनें से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायालय शुल्क पर अन्दर अवधि पेश है। आदि आदि।

अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये कृषि भूमि खाता सं. 123 ख0नं0 131 तादादी 0.01 हैक्टेयर व ख0नं0 132 तादादी 9.32 हैक्टेयर वाके रोही हमीरवास छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू की चारो सीमाओं का सीमाज्ञान करवानें हेतु योग्य पटवारियों की टीम तैयार की जाकर सीमाज्ञान कराया जाकर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम किये जावे व पत्थरगढ़ी करनें के आदेश फरमाये जावे। आपकी अति कृपा होगी।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया जिस पर बावजूद तामील गोण अप्रार्थीगण हाजिर नही आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी पेरोकार राज द्वारा राजकीय हित निहित नही होना जाहिर किये जाने पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेज व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2074 – 2077 खाता सं. 123 रोही हमीरवास छोटा का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी से कृषि भूमि खाता सं. 123 ख0नं0 131 तादादी 0.01 हैक्टेयर, ख0नं0 132 तादादी 9.32 हैक्टेयर, ख0नं0 218 तादादी 4.55 हैक्टेयर, ख0नं0 220 तादादी 0.96 हैक्टेयर, ख0नं0 64 तादादी 0.29 हैक्टेयर कुल तादादी 15.13 हैक्टेयर वाके रोही हमीरवास छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में कृषि भूमि ख0नं0 131 तादादी 0.01 हैक्टेयर, ख0नं0 132 तादादी 9.32 हैक्टेयर कुल तादादी 9.33 हैक्टेयर वाके रोही हमीरवास छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की होना प्रमाणित है। प्रार्थीगण के खेत के चारों ओर की सीमाओं के सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढ़ी किये जानें में अप्रार्थी पैरोकार राज नें राजहित प्रभावित नही

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

UKMST 2019 / 00484

होना जाहिर किया है व कोई ऐतराज नही किया है तथा ना ही अप्रार्थी पैरोकार राज द्वारा कोई खंड़न या विरोध प्रस्तुत किया गया है। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि रोही हमीरवास छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 123 ख0नं0 131 तादादी 0.01 हैक्टेयर, ख0नं0 132 तादादी 9.32 हैक्टेयर कुल तादादी 9.33 हैक्टेयर की मौका पर पैमाईश कर पुख्ता सीमा चिह्न पैमाईश के मुताबिक कायम करवाकर चारों ओर की सीमा पर पुख्ता पत्थर गढ़ी करवाई जावे। तहसींलदार राजगढ़ को हिदायत दी जाती है कि वह पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक से आदेश की पालना यथाशीघ्र करवाई जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरु)